

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक-.....

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-6 की उपधारा-2(बी) (अध्याय-III) के अधीन प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, बिहार के राज्यपाल माननीय न्यायमूर्ति श्री विजयेश्वर नारायण सिन्हा, उच्च न्यायालय, पटना को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

(सं०सं०-सी०/एल०ए०-०९/२००७...../जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

सं०सं०-सी०/एल०ए०-९/२००७/.....<sup>6083</sup>/जे०, पटना, दिनांक...<sup>15.08.14</sup>.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंके में प्रकाशनार्थ अग्रसारित एवं इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विधि विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

सं०सं०-सी०/एल०ए०-९/२००७/.....<sup>6083</sup>/जे०, पटना, दिनांक...<sup>15.08.14</sup>.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

सं०सं०-सी०/एल०ए०-९/२००७/.....<sup>6083</sup>/जे०, पटना, दिनांक...<sup>15.08.14</sup>.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, सूचना आयोग भवन, पटना को प्रकाशनार्थ अग्रसारित।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

सं०सं०-सी०/एल०ए०-९/२००७/.....<sup>6083</sup>/जे०, पटना, दिनांक...<sup>15.08.14</sup>.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

सं०सं०-सी०/एल०ए०-९/२००७/.....<sup>6083</sup>/जे०, पटना, दिनांक...<sup>15.08.14</sup>.....

प्रतिलिपि:- माननीय न्यायमूर्ति श्री विजयेश्वर नारायण सिन्हा, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

सं०सं०-सी०/एल०ए०-९/२००७/.....<sup>6083</sup>/जे०, पटना, दिनांक...<sup>15.08.14</sup>.....

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-32089, दिनांक-15.07.2014 के प्रसंग में/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/महामहिम राज्यपाल के सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/मुख्य सचिव के सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/महाप्रशासक एवं महाप्रन्यासी, बिहार, विधि बोधक, बिहार, पटना/सभी मंत्री एवं राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।